न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम राकेश कुमार

मुकदमा न. 03/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

14.08.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी राकेश कुमार बोहरड़ पुत्र पन्नालाल बोहरड़ निवासी एच–14 ए.बी.रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया परसुरामपुरा रींगस मैसर्स– विनित इण्डस्ट्रीज, परसुरामपुरा रींगस जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–793 वस्तु मैंगो फ्रुट डिंक्स (जे.यु.सी) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अतः अप्रार्थी राकेश कुमार के 10,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official